वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 23.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला , दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, राष्ट्रीय सहारा, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 23.01.2025

36 करोड़ से होंगे सात विकास कार्य

वाराणसी। वीडीए की अवस्थापना निधि के 36 करोड़ रुपये से शहर में सात विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ ही सड़क, सीवर और लाइट संबंधी समस्याओं का भी समाधान होगा। कार्यों को लेकर वीडीए को अवस्थापना निधि समिति से अनुमति मिल चुकी है। इस अवस्थापना निधि से शहर में सुगम यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस को संसाधन दिए जाएंगे। वीडीए सीमा के 20 गांव में मिनी हॉट के तहत 5-5 दुकानों का निर्माण होगा। दुकानों के सामने इंटरलॉकिंग का प्लेटफॉर्म बनेगा। नटिनियादाई मंदिर से रिंगरोड तक जलजमाव का निस्तारण होगा। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन बिछाने के कार्य को गति मिलेगी। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 23.01.2025

उपनिदेशक बचत कार्यालय का निरीक्षण

वाराणसी। एकीकृत मंडलीय कार्यालय की स्वीकृति को लेकर 24 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसकी तैयारियों के लिए बुधवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने राष्ट्रीय उपनिदेशक बचत कार्यालय चेतगंज का निरीक्षण किया। एकीकृत मंडलीय कार्यालय के निर्माण के लिए राज्यस्तरीय समिति बनी है। निरीक्षण में पाया गया कि इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 23.01.2025

वीडीए उपाध्यक्ष ने छह अवैध निर्माण कराए सील

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बुधवार को तुलसीपुर मोतीझील का निरीक्षण किया। भेलूपुर वार्ड के रविंद्र कुमार अग्रवाल, नीरज अग्रवाल की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त तलों का अवैध निर्माण कार्य किया गया था। जिसे वीडीए ने सील किया। उपाध्यक्ष ने निर्माणकर्ता को भवन का शमन मानचित्र दाखिल करने का निर्देश दिया। विनोद गुप्ता की ओर से बगैर नक्शा पास कराए 1800 वर्गफीट में निर्माण कराया जा रहा था। भेलूपुर में अभिषेक तिवारी की ओर से 600 वर्गफीट में ढलाई का कार्य कराया जा रहा था। धीरज की ओर से भेलूपुर में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। ओमप्रकाश सिंह की ओर से नगवां में, पंकज कुमार सिंह के अवैध निर्माण को सील किया गया। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 23.01.2025

लंबित मानचित्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश

सचिव ने बैठक में अनुपस्थित जोनल अधिकारी व जेई से मांगा स्पष्टीकरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को बैठक कर जोन-3, 4 और 5 के फील्ड कर्मियों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अनुपस्थित जोनल अधिकारी, जेई और फील्ड वर्क सुपरवाइजर को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिया।

सचिव ने कहा कि सभी लंबित मानचित्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने और बकाया शमन शुल्क जमा शीघ्र जमा कराए जाने के लिए निर्देशित किया जाए। सील प्रकरणों की जांच की जाए और बेसमेंट खाली कराकर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सचिव ने शहर में हो रहे अनियोजित विकास और अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

साथ ही, फील्ड में तैनात सभी कर्मियों को आईकार्ड, बैग और डायरी व उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश की सुचनाएं साथ रखें। आइजीआरएस पर निगेटिव फीडबैक आने पर सचिव महोदय ने गहरी नाराजगी जताई। समीक्षा बैठक में अपर सचिव परमानंद यादव व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

वीडीए बना रहा है मंडलीय कार्यालय का खाका

जागण संवाददाता, वाराणसी : मुख्य सचिव 24 जनवरी को एकीकृत मंडलीय कार्यालय की स्वीकृति के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके पूर्व विकास प्राधिकरण ने एकीकृत भवन में आने वाले मंडलीय कार्यालयों का खाका तैयार कर रहा है। इसके लिए बुधवार को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने एकीकृत मंडलीय कार्यालय में आने वाले राष्ट्रीय उपनिदेशक बचत कार्यालय, चेतगंज का स्थलीय निरीक्षण किया। वह भवन 100 वर्ग मीटर में है। बता दें कि कमिश्नरी परिसर में एकीकृत भवन का निर्माण किया जाना है। उसमें शामिल होने वाले कार्यालयों का निरीक्षण मुद्रीकरण योजना के तहत वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय (4190 वर्ग मीटर), अपर निदेशक पशुपालन (380.25 वर्ग मीटर), व्यावसायिक शिक्षा विभाग (2502 वर्ग मीटर), कार्यालय श्रमायुक्त वाराणसी (4090 वर्ग मी0), आबकारी विभाग (12340 वर्ग मीटर), संयुक्त निदेशक उद्योग (6485.53 वर्ग मीटर), सहायक निदेशक बेसिक शिक्षण विभाग (840 वर्ग मीटर) का निरीक्षण किया जाएगा।

दैनिक जागरण–दि0 23.01.2025

मोती झील की चौहद्दी निर्धारित करेगी वीडीए और राजस्व टीम

उपाध्यक्ष ने निरीक्षण कर मातहत अधिकारियों को दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बुधवार को जोन-04 की टीम के साथ तुलसीपुर, मोतीझील का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि राजस्व टीम से मोतीझील तालाब की चौहद्दी स्पष्ट कराई जाए। साथ ही राजस्व अभिलेख के अनुसार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जाए।

इसी के साथ ही उपाध्यक्ष ने कई स्थानों बिना मानचित्र के निर्माण कार्य को सील करने की कार्रवाई की। इसमें रविन्द्र कुमार अग्रवाल एवं नीरज अग्रवाल द्वारा वार्ड-भेलूपुर में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त तलों का अवैध निर्माण करा रहे थे। मौके पर निर्माण कार्य बंद पाया गया। उपाध्यक्ष ने निर्माणकर्ता को उक्त भवन का शमन मानचित्र दाखिल करने के निर्देश दिया। विनोद गुप्ता द्वारा वार्ड-भेलूपुर में लगभग 1800 वर्गफीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करा रहे थे। उसे सील किया गया और दो दिनों के भीतर लिफ्ट डक्ट को बंद कर कवर करने का निर्देश दिए। अभिषेक तिवारी, धीरज वार्ड-भेलूपुर में निर्माण करा रहे थे नोटिस दी गई। वार्ड-नगवां में ओमप्रकाश सिंह और पंकज सिंह के द्वारा कराए जा रहे निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया।

इसी प्रकार एक अन्य टीम ने वार्ड-दशाश्वमेध में शशांक राजपूत व श्वेता सिंह, मोनू, गुड्डू के मकान को सील किया गया। इसी प्रकार सिकरौल में राधेश्याम यादव के निर्माण कार्य को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

- जोन चार की टीम के साथ तुलसीपुर, मोतीझील देखने पहुंचे पुलकित गर्ग
- कई स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृत मकानों को किया जोनल टीमों ने सील

दैनिक जागरण–दि0 23.01.2025

सील तोड़कर निर्माण कराने पर मुकदमा दर्ज

रामनगर : भीटी स्थित शिवाजी नगर कालोनी में वीडीए के रामनगर जोन के जोनल अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जोनल अधिकारी गौरव जय प्रकाश सिंह ने तहरीर में बताया कि पहले जून 2020 में शिवजी नगर कालोनी स्थित अशोक कुमार उपाध्याय के अवैध निर्माण को सीलकर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था, बावजूद इसके भवन स्वामी द्वारा सील तोड़कर भवन निर्माण कराया। (संस)

दैनिक जागरण–दि0 23.01.2025

मोतीझील में तीन अवैध निर्माण सील

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को मोतीझील में तीन अवैध निर्माण को सील किया। साथ ही जलाशय के स्वरूप निर्धारण के लिए नगर निगम और सदर तहसील को पत्र लिखा गया। चौहद्दी तय होने के बाद वीडीए यहां बैरीकेडिंग कराएगा। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि मोतीझील चारों अवैध निर्माण हो रहे थे।

उन्होंने बताया कि एक भवन स्वामी लगभग 1800 वर्गफीट क्षेत्रफल में तीन मंजिला इमारत का निर्माण करा रहा था। जिसे उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा के अंतर्गत सील किया गया। जएक अन्य स्थान पर 600 वर्गफीट क्षेत्रफल में पहले से निर्मित हिस्से के ऊपर सेटबैक कवर करके छत की ढलाई की जा रही थी। जिसे सील किया गया। 500 वर्गफीट क्षेत्रफल में एक अन्य तीन मंजिला भवन स्वामी ने निर्माण लगभग पूरा करा लिया था। इसके अलावा नगवा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण को सील किया गया। भवन स्वामी को वीडीए ने 15 जनवरी को नोटिस दिया था, लेकिन कार्य बंद न होने पर भवन सील कर दिया गया। नगवां में ही स्वीकृत मानचित्र के विपरीत लगभग 3200 वर्गफीट में अवैध निर्माण को सील किया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 23.01.2025

सत्यापन के बाद बनाए जाएंगे नए वेंडिंग जोन

- फेरी-पटरी व्यापारियों का चल रहा सत्यापन
- डूडा ने नई जगह के लिए शुरू किया सर्वे

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए शहर में नए सिरे से वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। डूडा ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट दो खंड में तैयार होगी। पहले में ऐसे स्थल का जिक्र होगा जहां किसी भी सूरत में वेंडिंग जोन नहीं होंगे और दूसरी में ऐसे स्थलों का जिक्र होगा जहां पुलिस की स्वीकृति के आधार पर वेंडिंग जोन बन सकते हैं।

सर्वे के दौरान पहली बार फेरी पटरी व्यवसायियों का सत्यापन भी किया जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस व्यवसाय कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो मोटी रकम लगाकर पांच से 25 ठेले लगवा रहे हैं। इसलिए सत्यापन के दौरान पटरी व्यवसायियों से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले रही है। इन्हें स्मार्ट कार्ड भी दिए जाएंगे जिससे उनकी निगरानी भी संभव होगी। जोनल अधिकारियों की अध्यक्षता में बनी उपसमितियों ने टाउन वेंडिंग कमेटी को रिपोर्ट सौंप दी है। पुलिस ने भी ऐसे स्थलों की रिपोर्ट नगर निगम को दी है, जो वेंडिंग जोन में शामिल नहीं हो सकते।

हिन्दुस्तान–दि0 23.01.2025

तीन जोन अफसरों से जवाब-तलब

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को कोतवाली, नगवा, भेलूपुर और रामनगर मुगलसराय जोन में लंबित मानचित्रों का जल्द निस्तारण और बकाया शमन शुल्क वसूलने का निर्देश दिया। बैठक से अनुपस्थित जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति, संजीव कुमार और गौरव प्रकाश से स्पष्टीकरण मांगा है।

न्यायाधीश–दि0 23.01.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी । विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा जोन-04 की टीम के साथ तुलसीपुर, मोतीझील का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने रविन्द्र कुमार अग्रवाल एवं नीरज अग्रवाल द्वारा वार्ड-भेलूपुर में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त तलों का अवैध निर्माण कार्य किए जाने पर पूर्व में सील की कार्यवाही की गयी थी। मौके पर निर्माण कार्य बंद पाया गया। उपाध्यक्ष द्वारा निर्माणकर्ता पक्ष को उक्त भवन का शमन मानचित्र दाखिल करने व विनोद गुप्ता द्वारा वार्ड-भेलूपुर में लगभग 1800 वर्गफीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+3 तलों का निर्माण किया जा रहा था, जिसे उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत मौके पर सील किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा निर्माणकर्ता को दो दिनों के भीतर लिफ्ट डक्ट को बन्द/कवर करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए। अभिषेक तिवारी व अन्य द्वारा वार्ड-भेलूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग

600 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल भवन के ऊपर सेटबैक कवर कर प्रथम तल के छत ढलाई का कार्य किया जा रहा था, जिसपर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही कर कार्य बंद कराया गया। धीरज व अन्य द्वारा वार्ड-भेलूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+3 तालों का निर्माण पूर्ण कर फिनिशिंग एवं प्लास्टर का कार्य कराया जा रहा था, जिसपर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही कर कार्य बंद कराया गया।साथ ही ओमप्रकाश सिंह व अन्य द्वारा वार्ड-नगवां में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 51% × 20% की माप में भूतल पर दीवार व कॉलम का निर्माण कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत दिनांक 15/01/2025 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान पाए जाने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया है।पंकज कुमार सिंह व अन्य द्वारा वार्ड-नगवां में स्वीकृत नक्शे के विपरित निर्माण लगभग 3200 वर्गफीट के क्षेत्रफल पर जी +4 तल पर ढलाई का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत दिनांक 10/01/2025 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान पाए जाने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया है।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 23.01.2025

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए जोन एक की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। सिकरौल वार्ड के मौजा बड़ागांव के अंतर्गत राधेश्याम यादव के भवन पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस की निगरानी में सौप दिया गया।

वीडीए ने सील किए कई अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए जोन तीन की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को वार्ड-दशाश्वमेध क्षेत्र के अंतर्गत अवैध निर्माण को सील किया। जोन तीन वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत शशांक राजपूत पुत्र दामोदर सिंह, श्वेता सिंह पत्नी अविनाश चंद्र सिंह द्वारा आराजी नंबर 528/1 एवं 524 मौजा शिवपुरवा वार्ड-दशाश्वमेध में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। वहीं मोनू पुत्र जय प्रकाश रेशम कटरा के पीछे के वार्ड-दशाश्वमेध में किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया। इसके अतिरिक्त गुड्डू द्वारा चौक थाना मजार के सामने बेसमेंट में निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 23.01.2025

मानचित्रों का जल्द करें निस्तारण: वीडीए सचिव

वीडीए सचिव ने फील्ड कर्मियों संग की समीक्षा

वाराणसी। वीडीए में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा के अध्यक्षता में जोन-तीन, चार और पांच के फील्ड कर्मियों की समीक्षा बैठक की गयी। सचिव ने सभी लंबित मानचित्रों का जल्द निस्तारण करने और बकाया शमन शुल्क जमा कराये जाने के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान अनुपस्थित जोनल अधिकारी, जेई और फील्ड वर्क सुपरवाइजर को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि सील प्रकरणों की जांच की जाए और बेसमेंट खाली कराकर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सचिव ने शहर में हो रहे अनियोजित विकास और अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही, फील्ड में तैनात सभी कर्मियों को आईकार्ड, बैग और डायरी व उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की सुचनाये साथ रखे। जनिशकायतों के गुणवत्तापूर्ण और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया जाय। सचिव ने कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिथिलता बरतने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजीआरएस पर निगेटिव फीडबैक आने पर सचिव ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यों में पूर्णतः तत्परता और गंभीरता दिखाएं, अन्यथा प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। समीक्षा बैठक में अपर सचिव परमानंद यादव, अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 23.01.2025

वीडीए सचिव ने जोन वार की समीक्षा बैठक

❑ सील प्रकरणों की जांच की जाए और बेसमेंट खाली कराकर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए : डॉ वेद प्रकाश मिश्रा

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के सभागार में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा के अध्यक्षता ने जोन-3, 4 और 5 के फील्ड कर्मियों की समीक्षा बैठक की। सचिव ने सभी लंबित मानचित्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने और बकाया शमन शुल्क जमा शीघ्र अतिशिघ्र जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

बैठक के दौरान अनुपस्थित जोनल अधिकारी, जेई और फील्ड वर्क सुपरवाइजर को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि सील प्रकरणों की जांच की जाए और बेसमेंट खाली कराकर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शहर में हो रहे अनियोजित विकास और अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही फील्ड में तैनात सभी कर्मियों को आईकार्ड, बैग और डायरी व उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की सूचनाये साथ रखे । जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाय। सचिव ने कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिथिलता बरतने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजीआरएस पर निगेटिव फीडबैक आने पर सचिव महोदय ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यों में पूर्णतः तत्परता और गंभीरता दिखाएं, अन्यथा प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। समीक्षा बैठक में अपर सचिव परमानंद यादव, व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।